राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग–3 वीबी–जी राम जी)

क्रमांकः एफ 21(39)ग्रावि/वीबी–जी राम जी/ Material payment/2026–27/16556 हस्ताक्षरित दिनांक

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर,
समस्त जिला (राजस्थान)।

विषयः –वीबी–जी राम जी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में श्रम मद एवं सामग्री मद के मदवार उपयोग के संबंध में।

संदर्भः विभागीय पत्र क्रमांक एफ 21(39)ग्रावि/वीबी–जी राम जी/ Material payment/2026–27/16556 दिनांक 07–08–2026

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि वीबी–जी राम जी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए सामग्री मद के अंतर्गत जारी बजट आवंटन का उपयोग योजना के निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं नियमों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जावे।भारत का राजपत्र (भाग 2 खंड 1) में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अध्याय 5 की धारा 22 की उपधारा 6 मैं लिखा है की अकुशल अर्ध कुशल और कुशल श्रमिकों का भुगतान श्रम मद से किया जाना है बजट व्यय के संबंध में निम्नानुसार दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावेः श्रम मद (Labour Head): योजनान्तर्गत कार्यरत अकुशल (Unskilled), अर्ध–कुशल (Semi-skilled) एवं कुशल (Skilled) श्रमिकों का भुगतान/व्यय केवल श्रम मद (Labour Component) से ही किया जाएगा।

सामग्री मद (Material Head): के अंतर्गत जारी की गई राशि का उपयोग केवल सामग्री के दायित्वों एवं भुगतान हेतु ही किया जावेगा। सामग्री मद की राशि से अकुशल, अर्ध–कुशल तथा कुशल श्रमिकों का किसी भी प्रकार का व्यय/भुगतान नहीं किया जावेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवंटित राशि का नियमानुसार एवं पारदर्शी ढंग से व्यय सुनिश्चित करें तथा उक्त निर्देशों की पालना अपने अधीनस्थ समस्त विकास अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों से पूर्णतः करवाना सुनिश्चित करें।

(पुष्पा सत्यानी)
आयुक्त,वीबी–जी राम जी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः
1.निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Designation : Commissioner
Date: 2026.10.09 12:51:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 24831494
M e-Sign